न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिधूना, औरैया।

एफ0आर0 वाद सं0–13/2026

CNR No. UPAU120003662026

उर्मिला बनाम अज्ञात।
मु0अ0सं0–562/2021
अन्तिम रिपोर्ट सं0–92/2022
धारा–363 भा0दं0सं0
थाना–बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–10.03.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर वादिनी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रार्थिनी/वादिनी मुकदमा उर्मिला द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर वादिनी मुकदमा को सुना गया।

न्यायालय द्वारा पूर्व में वादिनी मुकदमा को नोटिस/समन प्रेषित किया गया। तामीला उपरान्त प्रार्थी/वादिनी मुकदमा द्वारा स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी को विपक्षी से अब कोई गिला सिकवा शेष नहीं रहा है। प्रार्थिनी उक्त मुकदमा अब आगे नहीं चलाना चाहती है। वह अन्तिम आख्या स्वीकार कराना चाहती है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त एफ0आर0 स्वीकृत करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि उक्त प्रकरण में वादिनी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी थी। दौरान विवेचना, विवेचक द्वारा इस आशय की अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई है कि अब तक की तमामी विवेचना, बयान वादिनी, निरीक्षण घटना स्थल, बयान गवाहान एवं अन्य जांच से गुमशुदा आसना पुत्री देशराज सिंह के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पायी। अतः गुमशुदा आसना की पतारसी व सुरागरसी जारी रखते हुए मुकदमा उपरोक्त की विवेचना जरिये अन्तिम रिपोर्ट समाप्त की जाती है। वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वह उपरोक्त एफ0आर0 को स्वीकार कराना चाहती है। चूंकि वादिनी मुकदमा को उक्त एफ0आर0 को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। वह एफ0आर0 स्वीकार कराना चाहती है। प्रपत्रों के अवलोकन से भी इस स्तर पर मामले में अग्रिम कार्यवाही किये जाने का कोई पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होते है। अतः प्रार्थिनी/वादिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी/वादिनी मुकदमा उर्मिला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अन्तिम रिपोर्ट संख्या–92/2022 दिनांकित 14.12.2022, मु0अ0सं0–562/2021, अर्न्तगत धारा–363 भा0दं0सं0 थाना बिधूना, जिला औरैया स्वीकार की जाती है। तद्नुसार एफ0आर वाद संख्या–13/2026 निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0 प्रवीण सिंह)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिधूना, औरैया।
J.O. Code : UP3441

Digitally signed by PRAVEEN SINGH
Date: 2026.03.10 16:09:03 IST
Reason: Order
Location: CJJD/JM Outlying Court, Bidhuna